



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 वैशाख 1942 (श0)
(सं0 पटना 284) पटना, मंगलवार, 12 मई 2020

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचना

13 नवम्बर 2019

सं० 1492—कबीर पंथी आश्रम, ग्राम—मुहम्मदपुर बेरई उर्फ शंकरपुर, पो0—चकमदाहिद, थाना+अनुमंडल—महुआ, जिला—वैशाली पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या—4023 है।

इस न्यास की सूचारू प्रबंधन, उन्नयन तथा सम्यक विकास हेतु ग्रामीणों द्वारा आम सभा दिनांक—26.04.2015 में लिये गये निर्णय तथा ग्यारह व्यक्तियों का नाम न्यास समिति गठन हेतु सूचि के साथ पर्षद में दाखिल किया गया, जिसपर प्रस्तावित नामों का चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाना को दिनांक—09.10.2015 को भेजा गया तथा पुनः स्मार-पत्र दिनांक—08.09.2016 को जारी किया गया, जिसके आलोक में महुआ थाना द्वारा दिनांक—16.10.2016 को अपनी रिपोर्ट समर्पित करते हुए उल्लेख किया गया कि प्रस्तावित नामों के विरुद्ध थाना में कोई टिप्पणी अंकित नहीं हैं।

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद द्वारा पारित आदेश दिनांक—25.10.2019 में कबीर पंथी आश्रम, ग्राम—मुहम्मदपुर बेरई उर्फ शंकरपुर, पो0—चकमदाहिद, थाना+अनुमंडल—महुआ, जिला—वैशाली की संचिका पर उपलब्ध समर्पणनामा दिनांक—13.03.1967 जिसमें पूर्व समर्पणनामा दिनांक—26.04.1945 का भी उल्लेख है तथा अंचलाधिकारी का प्रतिवेदन एवं अपील वाद में पारित निर्णय के आलोक में प्रथम दृष्टया यह कबीर आश्रम मुहम्मदपुर बेरई को सार्वजनिक न्यास घोषित किया जाता है तथा आम सभा द्वारा प्रस्तावित ग्यारह नामों की न्यास समिति गठन किये जाने का भी आदेश दिया जाता है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उपविधि सं०—43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए **कबीर पंथी आश्रम, मुहम्मदपुर बेरई उर्फ शंकरपुर** की सम्पत्तियों की सुरक्षा, बेहतर प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु एक योजना का निरूपण किया जाता है और इसे मूर्त रूप देने एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **“कबीर पंथी आश्रम, मुहम्मदपुर बेरई उर्फ शंकरपुर न्यास योजना होगा”** तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **“कबीर पंथी आश्रम, मुहम्मदपुर बेरई उर्फ शंकरपुर न्यास समिति होगी”** जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।
2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।
5. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी प्रावधानों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा वार्षिक आय का विवरण बजट एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन बैठक का कार्यवृत्त एवं देय शुल्क राशि पर्षद को ससमय भेजेंगे तथा न्यास परम्परा का पालन करेंगे।
6. **न्यास समिति/पदाधिकारी /सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलान, बिक्रय तथा पट्टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा। अगर कोई सदस्य/पदाधिकारी इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो उनपर अपराधिक मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।**
7. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी।
8. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद को अनुमोदन के लिए भेजेगी।
9. न्यास समिति न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं व्यवस्था के साथ-साथ अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि यदि कोई है, को वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
10. इस योजना में परिवर्तन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिकवियर्स की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
11. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास सम्पत्ति से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी। न्यास के प्रतिकूल कार्य करते पाये जाने की स्थिति में सदस्य को समिति के कार्यकाल की अवधि के दौरान ही उन्हे सदस्यता से मुक्त किया जा सकता है।
12. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है:-

1.	महंथ सदानन्द दास गुरु पिता सचिच्चदानन्द दास, ग्राम-हसनपुर धनराज कलहर मठ, पो0-छतबरा, वैशाली	—	अध्यक्ष
2.	जामुन सिंह पिता स्व0 चतुरी सिंह, ग्राम+पो0-शंकरपुर	—	उपाध्यक्ष
3.	श्री मिथलेश प्रसाद सिंह पिता स्व0 महेन्द्र प्रसाद सिंह, ग्राम-सदापुर महुआ	—	सचिव
4.	श्री मोहन राय पिता स्व0 रामदेव राय, ग्राम+पो0-चकमजाहिद	—	सह-सचिव
5.	श्री मिश्री लाल राय “मधुकर” पिता स्व0 रामचन्द्र राय, ग्राम+पो0-शंकरपुर	—	कोषाध्यक्ष
6.	श्री राम प्रवेश राय पिता स्व0 चन्द्र राय, ग्राम+पो0-चकमजाहिद	—	सदस्य
7.	श्री जयकिशुन पासवान पिता स्व0 गुलटेन पासवान, ग्राम+पो0-शंकरपुर	—	सदस्य
8.	श्री अरुण राय पिता विन्देश्वर प्रसाद सिंह, ग्राम+पो0-सदापुर महुआ	—	सदस्य
9.	श्री रामईश्वर राय पिता स्व0 राम चन्द्र राय, ग्राम+पो0-शंकरपुर	—	सदस्य
10.	श्री दिनेश राय पिता स्व0 महेन्द्र राय, सदापुर महुआ	—	सदस्य
11.	श्री संजय कुमार पिता मिश्री लाल राय, मिर्जा नगर	—	सदस्य

इस न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत की तिथि से (05) पाँच वर्ष का होगा। एक वर्ष के बाद इसके कार्यों की समीक्षा की जायेगी और संतोषप्रद पाये जाने पर कार्यकाल की निरन्तरता कायम रहेगी।

Note:- न्यास समिति/पदाधिकारी /सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलैन्, बिक्रय तथा पट्टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा। अगर कोई सदस्य/पदाधिकारी इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो उनपर अपराधिक मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 284-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>